

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट**

आप.प्रक.क्रमांक-78 / 2010

संस्थित दिनांक 04.11.2009

फाई. क्र.234503000142010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1.महिपाल पिता रामसिंह कोकोटे, उम्र-45 वर्ष,

निवासी माता मंदिर के पास उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट।

2.निरंकसिंह पिता रामसिंह कोकोटे, उम्र-40 वर्ष,

दोनो निवासी खापा थाना बैहर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(दिनांक 13/12/2017 को घोषित)**

**01—** अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 341/34, 325/34, 506 भाग-दो के तहत यह आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 28.11.2009 को समय दोपहर 2:00 बजे स्थान ग्राम खापा आरक्षित केन्द्र बैहर के अंतर्गत लोकस्थान पर प्रार्थी/आहत चैतराम तथा आहतगण रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अन्तराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत जानकीबाई, कलावतीबाई, रूपकलीबाई, जयवन्तीबाई, कौशल्याबाई, चैतराम, सुधराम, अंतराम एवं रामजी को हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत चैतराम, रामजी, लक्ष्मण और अंतराम के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डाली, जिससे प्रार्थीगण उस दिशा में जाने से निवारित हुये जबकि वे उस दिशा में जाने के अधिकारी थे, सह अभियुक्तगण के साथ उपहति कारित करने का

सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत लक्ष्मण को लकड़ी से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया एवं प्रार्थीगण/आहत चैतराम, सुधराम, रामजी, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अन्तराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत में फसल के विवाद पर दिनांक 28.11.09 को दोपहर 2:00 बजे महिपाल कोकोटे एवं निरंक कोकोटे एकराय होकर प्रार्थी चैतराम मरावी एवं गवाह रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, कु0 कलावती, जानकीबाई, जयवन्ती, रूपकलीबाई, अंतराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को माँ-बहन की बुरी-बुरी गंदी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी से मारपीट किये। जिससे लक्ष्मण को गंभीर चोट आयी एवं प्रार्थी तथा अन्य गवाहों को साधारण चोटें आयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 9/10 दिनांक 06.02.10 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 341/34, 325/34, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में महिपाल सिंह, अशोक तथा ईगल मरकाम की बचाव साक्ष्य पेश की गई।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

**01.** क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 28.11.2009 को समय दोपहर

2:00 बजे स्थान ग्राम खापा आरक्षि केन्द्र बैहर के अंतर्गत लोकस्थान पर प्रार्थीगण/आहत चैतराम, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अन्तराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को अश्लील शब्द कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

**02.** क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत जानकीबाई, कलावतीबाई, रूपकलीबाई, जयवन्तीबाई, कौशल्याबाई, चैतराम, सुधराम, अंतराम एवं रामजी को हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

**03.** क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत चैतराम, रामजी, लक्ष्मण और अंतराम के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डाली, जिससे प्रार्थीगण उस दिशा में जाने से निवारित हुये जबकि वे उस दिशा में जाने के अधिकारी थे ?

**04.** क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत लक्ष्मण को लकड़ी से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

**05.** क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थीगण/आहत चैतराम, सुधराम, रामजी, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अन्तराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**—:विवेचना एवं निष्कर्ष :—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 05**

सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पूर्व 11-12 बजे सुबह की ग्राम खापा की खेत की है। वह अपने काम से खेत में गया था, उसके परिवार में उसकी पत्नि, लड़कियाँ, श्यामवती, जैयवंती सभी लोग काम के लिये उसके साथ खेत गये थे। आरोपीगण ने लठ से खेत पर उसे मारे थे, जिससे उसके हाथ-पैर सूज गये थे, वह चल नहीं सकता था। आरोपीगण ने मों-बहन की गालियाँ दिये थे। आरोपीगण द्वारा मारने से उसका हाथ टूट गया था और वह वहीं जमीन में गिर गया था। लक्ष्मण उसका भाई है, जिसे भी गिरा-गिरा कर आरोपीगण ने मारे थे, जिससे उसका हाथ सूज गया था, फिर उसका एक्स-रे हुआ था। लक्ष्मण बैहर आते-आते बेहोश हो गया था। आरोपीगण ने मार डालेंगे-काट डालेंगे की धमकी दिये थे, जिसकी रिपोर्ट उसने किया था, जो प्रपी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने उसका मुलाहिजा एवं एक्स-रे करवाया था। साक्षी ने उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर ए से ए भाग का बयान देना व्यक्त किया।

**06—** साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जिस जमीन पर वह धान काटने गये थे उक्त जमीन के संबंध में उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध दीवानी दावा माननीय न्यायालय में वर्ष 2005 में पेश किये थे, उक्त दावा खारिज हो गया था, उसके पिता परदेशी खापा में रहते थे जिसकी खसरा नंबर 66 रकबा 20 एकड़ 30 डिसमिल भूमिस्वामी हक की भूमि थी, सन् 1959 में उसके पिता ने 30 डिसमिल भूमि को दादूलाल, रामसिंग, हरेसिंग एवं ढालसिंह को बिक्री कर दिये थे, उक्त खरीदारों के नाम पर राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज हुई। वह नहीं बता सकता कि खरीददार लोगों ने उक्त भूमि पर कास्त किया और उनका कब्जा चला। साक्षी के अनुसार किये होंगे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके पिता परदेशी के मरने के बाद संपूर्ण भूमि सभी खरीदारों के नाम



शामिल-शरीक थी, उनके नाम पर राजस्व अभिलेख में कोई जमीन दर्ज नहीं है। उनके नाम से 04 एकड़ जमीन है। उसे उक्त जमीन का खसरा नहीं मालूम है। जिस जमीन की वह धान काट रहे थे वह पैतृक खानदानी भूमि उन्हें प्राप्त हुई। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने 20 एकड़ 30 डिसमिल बिक्री किये उसके अलावा कोई भूमि नहीं थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने जिस भूमि की धान काटे वह भूमि उनके नाम पर कैसे आई नहीं बता सकता।

**07—** साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि वह धान काटने नहीं गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह सभी पांचों भाई अलग-अलग रहते हैं। यह अस्वीकार किया है कि सभी अलग-अलग कास्त करते हैं। उसने जो थाने में शिकायत की थी एवं बयान दिया था उसे नहीं पढ़ा था और ना ही उसे पुलिस वालों ने पढ़कर सुनाये थे, इसलिये वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा है। उसने रिपोर्ट में 04 एकड़ भूमि भूदान यज्ञबोर्ड से जमीन मिलने का पट्टा पुलिस को दिया था। वह आज यह नहीं बता सकता कि उक्त प्रकरण में भूदान से मिलने के संबंध में कोई कागज क्यों नहीं लगे हैं। साक्षी के अनुसार उन्होंने लगाये हैं। उसके पिता ने एक ही खाता बेचा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने घटना के समय विवादित भूमि पर पीली लुचाई की धान बोये थे। साक्षी के अनुसार उन्होंने भी बोये थे।

**08—** साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के गैर हाजिरी में उनके खेत धान काटने गये थे, वह धान काटने नहीं गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना के समय कौशलबाई, कलावती, जानकी, रूपकली, जयवंती लोग धान काट रहे थे, उनके साथ वह नहीं गया था। साक्षी के अनुसार बाद में गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने आकर धान काटने के लिये मना किये थे।

साक्षी के अनुसार आरोपीगण गुप में आये थे और दना-दन मारे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन 20-22 लोगों के नाम नहीं बता सकता। साक्षी के कथन अनुसार बाहर के लोग थे। उसने अपने पुलिस बयान में पुलिस को रिपोर्ट में घटना के समय आरोपीगण 20-22 लोग आये थे और उन लोगों को मारपीट किये थे वाली बात लिखा दिया था।

**09—** साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह आज नहीं बता सकता कि उसके पुलिस कथन में उक्त बात क्यों नहीं लिखी। उसने पुलिस रिपोर्ट और पुलिस बयान में सुरेंडा से मारने की बात लिखा दिया था, नहीं लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल से उनके घर एवं गांव एक फर्लांग दूर है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि किसने किसको मारपीट किया नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार मारपीट के बाद वह बेहोश हो गया था। उसके बाद किसने किसको मारपीट किया नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार है कि उसने अपने पुलिस रिपोर्ट एवं बयान में वह बेहोश हो गया था और गिरने की बात बता दिया था, उन लोग 20-22 लोग थे, उन लोग भी 12-13 लोग थे और एक-दूसरे को धान काटने से रोक रहे थे, उन दोनों पक्षों में खींचातानी-लामाझुमी हुई थी।

**10—** साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि इसी लामा-झुमी में वह गिर गया था, उन लोगों ने आरोपीगण को मारपीट किये है, आरोपीगण उन्हें खेत की धान काटने से मना कर रहे थे, इसलिये उन्होंने आरोपीगण को मारपीट कर चोट पहुंचाये थे। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने भी रिपोर्ट किये थे। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण का भी डॉक्टरी मुलाहिजा हुआ था। यह अस्वीकार किया है कि उनका परिवार बड़ा है, इसलिये आरोपीगण की बोई हुई धान की फसल को उनको मारपीट कर जबरन काट कर ले गये थे।

11— साक्षी चैतराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आज भी उस जमीन पर जिसमें उन्होंने धान काटे थे उस पर आरोपीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उन लोग आरोपीगण की फसल को जबरन काट कर ले जा रहे थे, तब आरोपीगण अपनी फसल की रक्षा के लिये गये थे, उन लोगों ने पुलिस वालों से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा 04 एकड़ जमीन जिसकी उन्होंने फसल काटे थे उसका मुकदमा उनके विरुद्ध स्थायी रूप से रोक लगाने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जो लंबित है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह लोग हमेशा आरोपीगण की लगाई हुई फसल को जबरन काट लेते हैं, उन्हें भूदान या पैतृक हक से कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिये कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किये। वह आदिवासी गोंड जाति के हैं और कभी-कभी शराब पीते हैं। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उस दिन भी वह सभी लोग पीकर गये थे, वह नशे की हालत में लामा-झुमी में गिरा था, आरोपीगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, वह झूठ बोल रहा है तथा जमीन पर कब्जा करने के लिये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

12— साक्षी सुधराम अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन साल पहले दिन के 10-11 बजे ग्राम खापा की है। उन लोग अपने खेत में धान काटने के लिये गये थे, उनकी बाई लोग पहले से धान काट रही थी, तब उन लोगों ने उन्हें बुलाये तो उन लोग गये थे। आरोपीगण ने कश्मीरी पार्टी वालों को मारपीट करने के लिये बुलाये थे। उन सभी लोगों के साथ मारपीट किये थे। आरोपीगण ने उन लोगों को लकड़ी, डंडा से मारपीट किये थे। मारपीट में उसे पैर, कमर तथा हाथ में चोटें आई थी। वहाँ से उन लोगों को बैहर लेकर आये थे जहाँ पर उनका मुलाहिजा हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे।

**13—** साक्षी सुधराम अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कौशल्याबाई, जवंतीबाई, जानकीबाई, कलावतीबाई, रूपकलीबाई खेत में धान काट रही थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना करीब दो बजे की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह, चैतराम, लक्ष्मण, अंतराम और रामदिन खेत के तरफ दौड़े तो आरोपीगण ने उनका रास्ता रोक लिये थे। आरोपीगण ने उन लोगों को ऐसी-तैसी और मां-बहन की गालियां दिये थे जो सुनने में बुरी लगी थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दिये थे, आरोपीगण ने उन लोगों के साथ लकड़ी से मारपीट किये थे, साक्षी ने उसका प्रपी.02 का पुलिस कथन पुलिस को देना बताया।

**14—** साक्षी सुधराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस जमीन पर उनकी बाई लोग एवं उन लोग घटना दिनांक को धान काटने के लिये गये थे उस जमीन का दीवानी मुकदमा बैहर न्यायालय में 2005 में पेश किये थे। उसे यह नहीं मालूम कि उसे उसके केस का क्या हुआ क्योंकि उनके वकील ने उन्हें जानकारी नहीं दिये थे। उसके पिता का नाम परदेशी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता परदेशी के नाम पर ग्राम खापा में खसरा नंबर 66 रकबा 20 एकड़ 30 डिसमिल भूमि थी, उसके पिता द्वारा पूरी जमीन को आरोपीगण के पिता को बेच दिया था, आरोपीगण के पिता रामसिंह, दादूलाल, ढालसिंह वगैरह कास्त करते आ रहे हैं और अभी भी वे लोग अपने खेत में कास्त कर रहे हैं, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उन लाग बड़े हुये तब उन लोग पटवारी से मिलकर 04 एकड़ जमीन को अपने नाम पर करा लिये थे, उक्त 04 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है, इसी बाबत उन्होंने न्यायालय में स्थगन हेतु वाद लाये थे, जो खारिज हो गया है।

**15—** साक्षी सुधराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह एवं उनकी बाई लोग पीली



लुचाई धान की बोआर को काट रहे थे, काश्मीरी वाले कौन-कौन ने उन लोगों के साथ मारपीट किये थे वह नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया है कितने लोग थे वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार 25 लोग थे और वह बेहोश हो गया था। यह अस्वीकार किया है कि वह बेहोश हो गया था इसलिए नहीं बता सकता कि किसने किसको मारा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस में बयान दिया था। उसने अपने प्रपी.02 के बयान में काश्मीरी के 25 लोगों ने मारपीट किये थे बता दिया था, उसके पुलिस कथन प्रपी-2 में न लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। वह पढ़ा लिखा नहीं है। पुलिस वालों ने उसके पुलिस कथन को उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे। साक्षी ने इन सुझावों स्वीकार किया कि जहाँ पर धान काटने गये थे वह स्थान गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है, उन लोग एवं उनकी बाई लोग धान काट रहे थे और आरोपीगण एवं काश्मीरी से आये लोग धान काटने से मना कर रहे थे, धान काटने से मना करने पर ही उन लोग एवं बाहर से आये लोगों के बीच लामा-झुमी एवं खींचा-तानी हुई थी। लामाझुमी खेत में हुई थी और उसमें गिर गये थे। उसने अपने पुलिस कथन में हसियाँ से मारने वाली बात लिखा दिया था, यदि न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता।

**16—** साक्षी सुधराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण स्वीकार किया कि हसिया उनकी बाई लोग धान काटने लेकर गये थे। साक्षी के कथन अनुसार आरोपीगण भी लेकर आये थे, किन्तु यह अस्वीकार कि आवाज सुनकर वह लोग लकड़ी लेकर दौड़कर गये थे। यह स्वीकार किया कि जब उनकी बाई लोग धान काट रही थी तो काश्मीरी से आये 25 लोगों ने धान काटने से मना किया था। वह 08 लोग थे। यह अस्वीकार किया कि उन्हें आरोपीगण लाठी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उन लोगों ने उन्हें ज्यादा मारे थे और वह लोग भी रिपोर्ट करने गये थे, आरोपीगण को कंधे, सिर, हाथ, पैर में चोट लगी थी और उनका भी मुलाहिजा हुआ था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण अपने खेत

में लगी धान की फसल की रक्षा कर रहे थे और उन लोगों ने उनके खेत में लगी पीली लुचाई धान को चुपचाप जबरन काटकर ले जा रहे थे, उन्होंने आरोपीगण को मारपीट किये थे और आरोपीगण की फसल की चोरी किये थे, इस बात से बचने के लिये आरोपीगण के विरुद्ध झूठी शिकायत किये थे। वह आज यह नहीं बता सकता कि किसने किसको क्या गालियाँ दिया था, क्योंकि वहाँ पर 25-30 लोग थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जहाँ पर उन लोग धान काट रहे थे, वहाँ पर ही विवाद हुआ था, रास्ते में कोई विवाद नहीं हुआ है।

**17-** साक्षी लक्ष्मण अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी तथा आहतगण को जानता है। घटना तीन वर्ष पूर्व ग्राम खापा की उनके खेत की सुबह 10:00 बजे की है। खेत में धान कटाई हो रही थी। महीपाल वगैरह करीब 20 लोग आकर उनसे मारपीट करने लगे और उन लोगों को धान काटने नहीं दिये। आरोपीगण ने उनको लकड़ी एवं सुरेंडा से मारपीट किये थे। मारपीट से सिर, पैर, हाथ के पंजो में चोटें आयी थी। उसका मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था एवं एक्स-रे भी हुआ था। वह करीब 04 दिन अस्पताल में भर्ती था। पुलिसवालों ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। बस्तीवालों ने घटना में बीच-बचाव किये थे।

**18-** साक्षी लक्ष्मण अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28.11.09 की दिन के करीब दो बजे की है, खेत से चिल्लाने की आवाज आई तो वह, सुदनराम, रामजी, अंतराम, चैतराम दौड़े थे, आरोपीगण ने रास्ता रोक कर बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे जो सुनने में बुरी लगी थी और लकड़ियों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये थे, उसने पुलिस कथन प्रपी.03 पुलिस को देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त विवाद जमीन के धान

काटने पर से हुआ था विवाद खेत में ही हुआ था, खेत में वह रूपकलीबाई, कलावती, कौशल, वगैरह के साथ धान कटवा रहे थे। तब खेत में 20-25 लोग ग्राम काश्मीरी एवं कुमादेही के मौके पर आये थे। साक्षी के अनुसार उन लोगों ने उन्हें मारे थे। यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उन लोगों को धान काटने से रोके थे और बोले कि धान को उन्होंने लगाये है, धान को मत काटों। साक्षी के अनुसार खेती उन लोगो ने स्वयं किये थे।

**19—** साक्षी लक्ष्मण अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त विवादित जमीन को लेकर आरोपीगण एवं आरोपीगण के पिता से लगभग 10 सालों से विवाद चला आ रहा है, आरोपीगण एवं उसके परिवार वालों से उन लोगों का बोलचाल एवं उनके घर आना-जाना बंद है, आरोपीगण से घटना के पहले से बोलचाल बंद है एवं आज भी आरोपीगण से बोलचाल नहीं होती है और आना जाना बंद है। उसने अपने पुलिस बयान प्रपी-03 में यह बता दिया था कि आरोपीगण ने सुरेंडा से मारे थे और यह भी बता दिया था कि कुमादेही एवं काश्मीरी के 20-25 लोग आये थे और उन लोगों ने मारपीट किये थे यदि उक्त बात उसके बयान प्रपी-03 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि काफी लोग थे इस कारण यह नहीं बता सकता कि किसने किसको किस चीज से मारा था, उसे किसने मारा था नहीं बता सकता और वह उसे नहीं पहचानता, मौके पर एक-दूसरे को खींचा-तानी कर लामा-झुमी कर रहे थे, जहाँ पर खींचतान हुई थी वहाँ पर बंधी और मेढ़ है और कुछ लोग मेढ़ पर से गिर गये थे, जिससे चोटें आई थी।

**20—** साक्षी लक्ष्मण अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसके पिता का नाम परदेशी है। यह अस्वीकार किया कि उसके पिता परदेशी ने आरोपीगण के पिता को 20 एकड़ 30 डिसमिल खसरा नंबर 66 ग्राम खापा की जमीन बेचा था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि राजस्व

अभिलेखों में आरोपीगण के पिता वगैरह के नाम से शामिल—शरीक में विवादित जमीन दर्ज है, उक्त 20.30 एकड़ जमीन में से 04 एकड़ जमीन उन चारों भाईयों के नाम से दर्ज हुई। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त चार एकड़ जमीन को उन लोगों ने गलत ढंग से दर्ज कराकर अपने नाम पर करा लिये थे, वह लोग जबरन अवैध रूप से उक्त चार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रहे थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जमीन के संबंध में उन्होंने व्यवहार न्यायालय में प्रकरण पेश किये थे, जो समाप्त हो गया है, उक्त घटना के संबंध में आरोपीगण ने उनके विरुद्ध शिकायत किये थे और आरोपीगण को भी चोट थी तथा आरोपीगण का मुलाहिजा पुलिसवालों ने करवाये थे। जैसे ही उन लोगों ने आवाज सुने उन पांचो लोग दौड़कर गये थे। यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण को भी उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे उसके सिर, कंधे, एवं अंगुली में चोट थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उन लोगों के साथ मारपीट नहीं किये थे, उन लोग चोरी से धान काटकर ले जा रहे थे, आरोपीगण की रिपोर्ट से बचने के लिये वह लोगों ने झूठा प्रकरण पेश किये है तथा वह असत्य कथन कर रहा है।

**21—** साक्षी श्रीमती कौशलबाई अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व दिन के 10-11 बजे उसके खेत की है। वह अपने खेत की फसल काटने गई थी। उनके परिवार की लगभग 4-5 महिलाएं थी, जो अपने खेत की धान काटने गई थी, तभी उनके खेत में 20-22 लोग लकड़ी, सुरेंडा लेकर आये, जिसमें दोनो आरोपी भी थे। आरोपीगण गंदी-गंदी गालियों देते हुए आये और उन सभी को मारने लगे, जिससे उसे बांये हाथ में चोट लगी थी, फिर उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में ईलाज हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके कपड़े खून से सन गये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह लोग 10-11 बजे धान अपने खेत में काट रहे



थे। वह 05 महिलाएं थीं एवं उनके पति वगैरह जो चार भाई हैं, वह आये थे। साक्षी के अनुसार जब लड़की ने बताया था तब बाद में आये थे। यह स्वीकार किया है कि खेत में मौके पर 20-22 लोग ग्राम काश्मीरी के आये थे। वह काश्मीरी वालों के नाम नहीं जानती है। वह गांव के रामनारायण को जानती है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आये काश्मीरी लोगों ने उन्हें धान काटने से मना किये तथा वे ही लोग उनको मारपीट किये, उसने पुलिस बयान में 20-22 लोग काश्मीरी से डुडा वगैरह लेकर आये बता दिया था, यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान में न लिखा हो तो कारण नहीं बता सकती।

**22—** साक्षी श्रीमती कौशलबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस 04 एकड़ जमीन की वह धान काट रहे थे वह पीली लुचई का बोआर था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि उसे किसने और किससे मारा। साक्षी के अनुसार उसे आरोपी मिरग ने मारा था। उसने अपने पुलिस बयान में मिरग द्वारा मारने वाली बात बता दी थी, यदि न लिखि हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जिस खेत की वह धान काट रहे थे वह आरोपीगण के नाम पर है, आरोपीगण के द्वारा ही उक्त खेत में धान बोई गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त जमीन के संबंध में बैहर न्यायालय में केस चल रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त जमीन पर आरोपीगण केस जीत गये हैं और उनकी जमीन है। यह स्वीकार किया है कि उनके हाथ में हसिया था। साक्षी के अनुसार हंसिया से धान काट रहे थे। यह स्वीकार है कि उनके पति व भाई वगैरह आ गये थे जो एक-के-बाद-एक आये थे। साक्षी के अनुसार उनके पति वगैरह जो आये थे उनको भी मारा गया था। यह स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकती कि उनके परिवार के अन्य लोगों को किसने मारा। साक्षी के अनुसार पहले उनको मार दिया जिससे वह गिर गई थी। यह स्वीकार किया कि जहां धान है वहां उंची मेढ़ पार थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन लोग आरोपीगण को मारने दौड़े थे, जिसमें वह गिर गई थी

और उसे चोट आई थी। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण घटनास्थल पर नहीं गये और कोई मारपीट नहीं किये।

**23—** साक्षी रामजी अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है, उसके ही गांव के है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व दिन के 04 बजे उनके खेत ग्राम खापा की है। उनके घर की महिलाएं खेत गई थी। उस समय वह अपने घर पर था, तो उसे आकर बताया गया कि महिपाल वगैरह उनके घर की महिलाओं को मार रहे हैं। फिर वह खेत में गया। उसके द्वारा महिपाल वगैरह को समझाया गया कि क्यों मार रहे हो। उन 20-22 लोगों में से किसी एक ने उसे पीछे से मारा जो कमर में लगी थी। फिर उसका सरकारी अस्पताल बैहर में ईलाज हुआ था। इस प्रकार आरोपीगण ने उसके भाई सुधराम, लक्ष्मण, चैतराम को भी मारपीट की थी और महिलाओं को भी मारे थे, जिनका ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह जब अपने खेत गया था तब वहाँ 20-22 लोग थे। उसने पुलिस को बयान देते समय प्र.डी.01 में ही यह बता दिया था, किन्तु यदि उक्त बात 20-22 लोगों वाली न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस बयान में यह भी बता दिया था कि बच्चे बुलाने आये तो वह गया, वाली बात भी यदि पुलिस बयान प्रडी-1 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम खापा की जिस जमीन पर उनके परिवार की महिलाएं धान काटने गई थी वह 04 एकड़ थी। उस जमीन पर पीली उंची धान बोई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस घटना के पूर्व भी उनके विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रकरण चला था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने भी उस जमीन पर धान बोया था। साक्षी के अनुसार उन्होंने धान बोई थी।

**24—** साक्षी रामजी अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उक्त 04 एकड़ जमीन पर आरोपीगण का नाम 40 वर्षों से दर्ज

चला आ रहा है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता परदेशी ने आरोपीगण व आरोपीगण के काका वगैरह को बिक्री किया था की नहीं। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उक्त 04 एकड़ जमीन का फैसला हुआ है कि नहीं। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण केस को जीत गये और अदालत ने उन्हें खेत में घुसने से रोक लगा दी है तथा वह जबरन खेत में जाकर धान काट लेते हैं। साक्षी के अनुसार उनकी जमीन है।

**25—** साक्षी कु० कलावती बाई अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 02 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह, कौशलबाई, जानकीबाई, श्यामबतीबाई, रूपकली उनके खेत में धान काट रहे थे। दोनों आरोपीगण और उनके साथ काश्मीरी के कुछ लोग भी थे, जिनके हाथ में सुरेण्डा और तेंदू लकड़ी के लट्ठे लेकर उनके खेत में आ गये और उन सब लोगों को मारने लगे। उसे पैर में महिपाल ने लकड़ी से मारा था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसका बैहर शासकीय अस्पताल में ईलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मौके पर वह जिस खेत पर धान काटने गई थी, वहां पर उन लोगों के साथ 25-30 लोग थे। उन लोग जब धान काट रहे थे तब ग्राम काश्मीरी के कुछ लोग जो करीब 15-20 थे, के द्वारा उन्हें धान काटने से मना किया। साक्षी के अनुसार उनके हंसियां भी छुड़ा लिया था और उनकी काटी व बंधी धान को भी ले गये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि हंसिया छुड़ाने में उनकी व आरोपीगण के मध्य खींचा-तानी व लामा-झुमी हुई थी, लामा-झुमी में वह गिर गई थी, जो 15-20 लोग आये थे, वे कह रहे थे कि वह लोग उसके आज्ञा परदेशी से जमीन खरीदे है और रजिस्ट्री करा लिये है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उन लोग फिर भी धान काटना चालू रखे थे, जिस जमीन का वह धान काट रहे थे, उस जमीन का खसरा नंबर उसे नहीं मालूम है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके आज्ञा परदेशी जिस खेत की धान काट रहे थे उस खेत को ढालसिंह वगैरह को बेच दिये थे, जिस जमीन पर धान काट रहे थे उसमें दादूलाल, ढालसिंह वगैरह का नाम चला आ रहा है।

**26—** साक्षी कु0 कलावती बाई अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि काशमीरी के जो अन्य लोग थे, उनके नाम उसे मालूम नहीं, किन्तु यह अस्वीकार किया कि काशमीरी व कुमादेही के लोग जिन्होंने उनके साथ मारपीट किया था, वह उनको नहीं पहचानती। साक्षी के अनुसार उसे उनका नाम भी पता नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने अपने पुलिस बयान प्रडी-2 में कुमादेही और काशमीरी के लोग भी आये थे, वाली बात बता दी थी, यदि उक्त बात बयान प्रदर्श डी-2 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर बेहोश हो गई थी, उसके बाद उसे बैलगाड़ी में बैहर लेकर आये थे। बेहोशी के बाद की जानकारी उसे नहीं है। उसने अपने पुलिस बयान में प्रदर्श डी-2 में खेत में गिरने और बेहोश होने वाली बात पुलिस को बता दी थी यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्रडी-2 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने अस्वीकार किया कि जब काशमीरी और कुमादेही के लोग आये थे, तब वह अपने पिता को बताने घर गई थी। साक्षी के अनुसार श्यामबती गई थी।

**27—** साक्षी कु0 कलावती बाई अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त घटना के पूर्व से ही जिस जमीन पर वह धान काटने गये थे, उसका उनके पिता रामजी वगैरह एवं आरोपीगण के पिता के बीच न्यायालय में विवाद चल रहा था। यह अस्वीकार किया है कि न्यायालय द्वारा उक्त जमीन पर प्रवेश करने से उन्हें निषेधित किया गया था। यह अस्वीकार किया कि सभी आरोपीगण जो उन लोगों को धान काटने से रोकने के लिये आये थे, वे उनके गांव के नहीं थे। साक्षी के अनुसार आरोपी महिपाल और निरंक उनके गांव के ही हैं। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह अपनी मां के साथ चोरी-छुपे खान काट रही थी, इस कारण आरोपीगण मना करने आये थे। साक्षी के अनुसार उनके माता-पिता ने ही धान बोये थे, इसीलिये काट रहे थे। साक्षी के अस्वीकार किया कि उसके पिता ने जमीन पर धान नहीं लगाई थी, वह लोग जबरन धान काट रहे थे, उनके साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी।



**28—** साक्षी जानकीबाई अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह दोनों आरोपीगण को जानती है, जो उसके ही ग्राम के हैं। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह लोग अपने खेत में धान काट रहे थे, तभी दोनों आरोपीगण और उनके साथ लगभग 20-25 लोग आये थे। दोनों आरोपीगण के पास लकड़ी थी। जब वह धान काट रहे थे, तब आरोपीगण ने उन लोगों के साथ मारपीट की थी। मारपीट में वह गिर गई थी। गिरने से उसके बायें पैर में चोट लगी थी। इसके अलावा उसके पति लक्ष्मण व जेटानी रूपकली और कौशलबाई एवं लड़की कलावती, सुनीताबाई को चोट आई थी। अंतराम, सुधराम और जैतराम भी उनके साथ खेत में थे, फिर उसका ईलाज शासकीय चिकित्सालय बैहर में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह घटना के समय आये 20 लोगों का नाम नहीं जानती है, किन्तु वह लोग काश्मीरी के रहने वाले हैं। उसका पुलिस ने बयान लिया था। उसने अपने पुलिस बयान प्रडी-3 में 20 लोगों के आने वाली बात बता दी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान डी-3 में न लिखि हो तो कारण नहीं बता सकती। उसने पुलिस को धान काटते समय 20 लोगों ने मारपीट की थी, वाली बात बता दी थी यदि प्रडी-3 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। जैसे ही उसे 20 लोग मारने लगे वह गिर गई थी। उसे याद नहीं है कि किसने उसे कहां-कहां मारपीट की थी।

**29—** साक्षी जानकीबाई अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी बेटी और परिवार के लोगों को किस आरोपी ने शरीर के किन-किन भागों पर मारपीट की वह नहीं बता सकती, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। उसने अपने प्रडी-3 पुलिस बयान में अपने बेहोश होने वाली बात बता दी थी यदि न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.डी.03 का बयान पढ़कर नहीं सुनाया था, वह पढ़ी लिखी नहीं है, जिस जमीन पर वह लोग धान काट रहे थे, उस जमीन के संबंध में उनके परिवार व आरोपीगण के परिवार के बीच घटना पूर्व से विवाद

न्यायालय में चल रहा था, जिस जमीन पर धान काट रहे थे उस जमीन को उसके सुसर परदेशी ने 30-35 साल पहले आरोपीगण के पिता एवं काका वगैरह को बिक्री कर दिया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि यह जमीन आरोपीगण एवं उनके परिवार के नाम पर दर्ज हो गई थी।

**30-** साक्षी जानकीबाई अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वह धान काट रहे थे तब काशमीरी से आये 20 लोगों ने उन्हें धान काटने से मना किया था तथा उसके बाद उनसे हंसिया वगैरह छीना था। साक्षी के अनुसार उसके बाद मारपीट किये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण और उनके साथ आये अन्य लोगों ने भी उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी, उक्त जमीन के प्रकरण में फैसला होकर उन्हें घुसने से मना किया गया था, न्यायालय में धान काटने के संबंध में केस चल रहा है, 20 लोग जो काशमीरी से आये थे उन लोगों ने मारपीट व छीना, झपटी किये थे, उसमें गिर गई थी और उसे चोट आई थी। साक्षी के अनुसार लकड़ी से मारपीट की थी। यह कहना सही है कि वह अपने पति लक्ष्मण के साथ अदालत में आई है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह अपने पति लक्ष्मण के बताये अनुसार गवाही दे रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जमीन का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि जमीन को हड़पने के लिये मारपीट के संबंध में झूठी गवाही दे रही है।

**31-** साक्षी अंतराम अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 6-7 साल सुबह 7:00 बजे की है। आरोपीगण उनके खेत में आये और उनकी जमीन है कहकर उनके खेत की धान मत काटो और आरोपीगण ने उनके साथ लाठी से मारपीट कर गाली गलौच किया। मारपीट करने से दोनों पैरों एवं कमर में चोट लगी थी और वह बेहोश हो गया था। उसका अस्पताल बैहर में चोटों के संबंध में उपचार हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28.02.2009 को उसके खेत की है।

उसके खेत में धान कटाई चल रही थी। खेत से चिल्लाने की आवाज आई तो वह दौड़ते हुये खेत गया था तो उसने देखा कि उसके पिता रामजी का रास्ता रोककर आरोपीगण ने माँ-बहन की गालियाँ दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त गाली सुनने में बुरी लगी थी। बीच-बचाव करने रूपकलीबाई, जैयन्तीबाई, कौशल्याबाई आई थी यही बात उसने पुलिस को बताया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**32—** साक्षी अतराम अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना का दिन, तारीख एवं महिना नहीं बता सकता, घटना के समय पहले उपस्थित नहीं था, कौन-कौन आरोपीगण थे वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार 20-25 लोग थे। वह लोग भी घर परिवार के 10-12 लोग थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि धान मत काटो कहकर उसके पिता सुधराम मां रूपकली बाई वगैरह 10-12 लोगों के मध्य खींचातानी कर रहे थे, उसके माता-पिता, भाई-बहन घटना के दिन धान काट रहे थे और आरोपीगण मत काटो बोल रहे थे, 20-25 लोगों की भीड़ में से किसने किसको क्या गाली दिया वह नहीं बता सकता, उसे पुलिस ने उकसा बयान पढ़कर नहीं सुनाये और ना ही उसने पढ़कर देखा था, उक्त घटना के संबंध में आरोपीगण ने भी थाने में उनके विरुद्ध शिकायत किया था और आरोपीगण को भी चोट लगी थी, उन लोगों का डॉक्टरी परीक्षण हुआ वैसे ही आरोपीगण का भी हुआ था। उसने अपने पुलिस कथन में घटना के दिन बेहोश हो गया था, का कथन बता दिया था। उसके पुलिस कथन प्रडी-4 में उक्त बात नहीं लिखी होगी तो इसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पिताजी वगैरह पांच भाई हैं, उक्त जमीन जिसमें वह धान काट रहे थे के संबंध में उनके पिताजी एवं आरोपीगण के मध्य न्यायालय में मुकदमा 10 साल से चल रहा है। उसे जानकारी नहीं है कि जिस खेत से धान काट रहे थे उस जमीन पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है और उन लोगों के द्वारा फसल काटी गई थी, इसलिये न्यायालय के आदेश की

अवहेलना का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।

**33—** साक्षी अंतराम अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित जमीन जिस पर वह धान काट रहे थे उक्त जमीन की पेशी सिविल कोर्ट बैहर में थी, वह घटना के समय बेहोश हो गया था, इसलिए किस-किस के बीच मारपीट या झगड़ा हुआ इसकी जानकारी नहीं है, उसके साथ प्रार्थी चैतराम और उसकी माँ आयी है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने और उसके परिवार वालों ने आरोपीगण को मारपीट कर चोट पहुँचाये थे, उसके माता-पिता के कहने पर चोरी से धान काटने एवं आरोपीगण को मारपीट करने से बचने के कारण आज सही बात नहीं बता रहा है।

**34—** साक्षी जैवंती अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को एवं प्रार्थी को जानती है। घटना वर्ष 2010 की है। उन लोग धान काटने के लिये खेत में गये थे। 20-25 लोग घटना के समय में आये थे उसमें से वह आरोपी महिपाल और निरंक को जानती है। महिपाल, निरंक अपने साक्षियों के साथ मारपीट किये थे, जिससे उसके हाथ में चोट लगी थी। उसके साथ उसके पिता चैतराम, सुधराम, रूपकलीबाई, रामजी, कौशलबाई, लक्ष्मण एवं जानकीबाई को आरोपीगण मारपीट किये थे। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28.11.09 की है। वह और उसके घरवाले धान काटने गये थे, तो आरोपीगण गंदी-गंदी गालियां देते हुए लाठी से मारपीट किये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने से उसने ऐसा बयान देना स्वीकार किया।

**35—** साक्षी जैवंती अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह अपने परिवार वालों के साथ धान काटने नहीं गयी थी। वह अपने



खेत के पास की नदी में कपड़े धोने के लिए गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रडी-2 में खेत में आरोपीगण सहित 20-25 लोग आये थे तथा वह घटना के समय नदी में कपड़ा धोने गयी थी यह बात उसने अपने पुलिस कथन प्रडी-2 में बता दी थी। यदि उक्त बात न लिखी हो तो उसका कारण नहीं बता सकती, प्रतिवर्ष धान काटने के समय आरोपीगण विवादित भूमि पर लगे धान की फसल को काटने से मना करते हैं, जिस जमीन पर उसके परिवार के लोग धान काट रहे थे उक्त जमीन का आरोपीगण के मध्य में मुकदमा चला है, उक्त भूमि पर न्यायालय द्वारा फैसला आदेश पारित कर उनके परिवार के लोगों को उक्त जमीन पर प्रवेश करने या दखलंदाजी करने से रोका गया था, उनके परिवार के लोग पिता, चाचा वगैरह भी धान बोयेंगे उनकी जमीन है, बोलते हैं, घटना के समय जिस जमीन की धान उनके परिवार के लोग काट रहे थे उसमें आरोपीगण द्वारा धान लगाई गई थी।

**36—** साक्षी जैवंती अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि इस वर्ष आरोपीगण ने उक्त भूमि पर डाट फली धान की बोवार बोये है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जिस जमीन पर वह लोग धान काट रहे थे उस जमीन का केश व्यवहार न्यायालय में चल रहा है उसकी पेशी आज है, प्रार्थी चैतराम उसके पिताजी है और आज उसके साथ आये हैं, घटना के समय जो 20-25 लोग आये थे उनका उनके परिवार वाले लोगों के साथ वाद-विवाद हुआ था, उसके बाद वह घटनास्थल पर गयी थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उन 20-25 लोगों ने उनके परिवार के लोगों को मारपीट किये थे और उसे भी मारपीट किये थे, उसे गिरने से चोट लगी थी। साक्षी के अनुसार मारने से चोट लगी थी। यह अस्वीकार किया कि वह अपने पिता चैतराम के बताये अनुसार आरोपीगण को फंसाने के लिए झूठ बोल रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना की तारीख, समय और महीना मालूम नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं थी और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

**37—** साक्षी रूपकलीबाई अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को एवं प्रार्थी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 10-12 साल पहले दिन के 12:00 बजे ग्राम खापा गांव की है। वह लोग अपने खेत की धान काट रहे थे कि गांव का महिपाल 20-25 लोगों को लेकर आये और लकड़ी से मारपीट करने लगे एवं गंदी-गंदी गालियां देने लगे थे। चोटों के संबंध में उसका मुलाहिजा हुआ था। उनके परिवार के अन्य लोगों को भी मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.2 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उन लोग परिवार के पूरे लोग धान काट रहे थे, जिस जमीन पर वह धान काट रहे थे उक्त जमीन कुल चार एकड़ है, उक्त जमीन को उसके ससुर परदेशी ने 40 साल पहले बिक्री किया था। उक्त जमीन पर बिक्री करने के बाद आरोपीगण के पिताजी के नाम पर दर्ज हुआ था।

**38—** साक्षी रूपकलीबाई अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि उसके पति एवं जेठ वगैरह ने तहसीलदार से मिलकर नाम दर्ज करवा लिये थे, उक्त संबंध में आरोपीगण के पिता एवं आरोपीगण के मध्य 8-9 साल से मुकदमा चला है। उसे जानकारी नहीं है कि न्यायालय से फैसला हो गया है। उसने अपने पुलिस बयान में 20-25 लोग घटना दिनांक को घटनास्थल पर आये, का कथन दिया था, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके पति वगैरह सब घर पर थे, उक्त जमीन में आरोपीगण प्रतिवर्ष धान बोवाई करने तथा कास्त करने से रोकते हैं और हर साल विवाद होते रहता है, घटना कौन से सन, महीना एवं तारीख की है वह नहीं बता सकती, आरोपीगण कहते हैं कि चार एकड़ विवादित जमीन वह लोग खरीदे है ये उनकी जमीन है, न्यायालय में चले प्रकरण में

विवादित भूमि पर फसल बोने एवं प्रवेश करने से रोका गया है। फिर भी वह लोग कहते हैं कि उनकी जमीन है वह फसल काटेंगे।

**39—** साक्षी रूपकलीबाई अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर वह जबरन कास्त करते हैं और फसल काटते हैं जिसकी सुनवाई भी चली है, आरोपीगण भी रिपोर्ट दर्ज कर दिये थे। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण को उन लोग मारपीट किये थे जिससे आरोपीगण को चोट थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण 20-25 लोग थे, किसने किसको क्या गाली दिया और किसने किसको मारपीट किये थे वह नहीं बता सकती। उसने अपने पुलिस बयान में बेहोश हो जाने वाली बात न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। यह स्वीकार किया कि प्रार्थी चैतराम वगैरह उसके साथ आये हैं किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने आरोपीगण को मारपीट किये थे और चोरी से धान काटे थे इससे बचने के लिये सही बात नहीं बता रही है।

**40—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.11.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक महिपाल क्रमांक 245 थाना बैहर द्वारा बुधराम को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसमें एक चोट कटा-फटा घाव बांये हाथ पर होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई थी। चोट पूरी तरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह का काम्पलिकेशन न हो। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा कु० कलावती को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्रमांक 01 मुंदी हुई जो कि दाहिने घुटने पर एवं चोट क्रमांक-02 एक मुंदी हुई चोट बांये जांघ पर लाल नीले रंग की थी। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण करने के 04 से 06 घंटे पूर्व की है। उक्त चोट किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरी तरह ठीक

हो सकती है यदि किसी तरह का कॉम्पलिकेशन न हो। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा जानकीबाई को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्रमांक-01 मुंदी हुई चोट दाहिने हाथ पर लाल नीले रंग की एवं चोट क्रमांक-02 एक मुंदी हुई चोट बांये जांघ पर लाल नीले रंग की है। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की है, जो उसके परीक्षण करने के 04 से 06 घंटे पूर्व की है। उक्त चोटें किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। उक्त चोटें पूरीतरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह का कॉम्पलिकेशन न हो।

**41-** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा रूपकलीबाई को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्रमांक-01 मुंदी हुई चोट बांये जांघ पर लाल नीले रंग की एवं चोट क्रमांक-02 एक मुंदी हुई चोट बांये घुटने पर लाल नीले रंग की होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण करने के 04 से 06 घंटे पूर्व की है। उक्त चोटें किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरीतरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह की कॉम्पलिकेशन न हो। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा जैवंतीबाई को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्रमांक-01 मुंदी हुई चोट लाल नीले रंग की एवं चोट क्रमांक-02 एक मुंदी हुई चोट पीठ के भाग पर लाल नीले रंग की है। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण करने के 04 से 06 घंटे के पूर्व की है।

**42-** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 के अनुसार उक्त चोट किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरी तरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह की कॉम्पलिकेशन न हो। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा लक्ष्मण को लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट



क्रमांक-01 मुंदी हुई चोट बांये कलाई पर लाल नीले रंग की एवं चोट क्रमांक-02 एक खरोंच बांये हाथ पर तथा चोट क्रमांक-03 एक मुंदी हुई चोट बांये गुराईन पर लाल नीले रंग की, चोट क्रमांक-04 एक मुंदी हुई चोट बांये पैर पर लाल नीचे रंग की तथा चोट क्रमांक-05 एक मुंदी हुई चोट दांये पैर पर लाल नीले रंग की होना पाया था, जिसमें चोट क्रमांक-01 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी, जिसका एक्स-रे प्लेट नंबर 906 है। एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट आर्टिकल-ए1 है। लक्ष्मण के बांये कलाई की हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था, जिस पर कोई केलश नहीं था। उसके मतानुसार आहत को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। चोट क्रमांक-01 गंभीर प्रवृत्ति की थी, शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण से 04 से 06 घंटे पूर्व की थी उक्त चोटें किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई थी।

**43—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 के अनुसार उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा कौशलबाई को लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्रमांक-01 एक कटा-फटा घाव बांये भुजा पर, चोट क्रमांक-02 एक मुंदी हुई चोट कुल्हे पर लाल नीले रंग की एवं चोट क्रमांक-03 एक मुंदी हुई चोट बांये पैर पर लाल नीचे रंग की होना पाया था। आहत को ईलाज हेतु भर्ती किया गया था। चोट क्रमांक-01 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 907 है। कौशलबाई के एक्स-रे में कोई अस्थिभंग नहीं होना पाया था। उसकी एक्स-रे रिपोर्ट आर्टिकल ए-2 है। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण से 04 से 06 घंटे पूर्व की है। उक्त चोटें किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरी तरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह की काम्पलिकेशन न हो।

**44—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 के अनुसार उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत अंतराम को लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्र.01 मुंदी हुई चोट सीने के बाये भाग पर लाल

नीले रंग एवं चोट क्र.02 एक मुंदी हुई चोट बांये भुजा पर लाल नीले रंग की है। मरीज को ईलाज हेतु भर्ती किया गया था। चोट क्र.01 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई, जिसका एक्स-रे प्लेट क्र.905 है। अंतराम की पसलियों में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया। उसकी एक्स-रे रिपोर्ट आर्टिकल ए-3 है। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की है, जो उसके परीक्षण से 04 से 06 घंटे पूर्व की है। उक्त चोटें किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरी तरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह की कांपलिकेशन न हो। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत चैतराम को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्र.01 मुंदी हुई चोट बाये भुजा पर लाल नीले रंग की, चोट क्र.02 एक मुंदी हुई चोट दांये भुजा पर लाल नीले रंग की एवं चोट क्र.03 एक मुंदी हुई चोट दांये जांघ पर लाल नीले रंग की होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के 4 से 6 घंटे पूर्व की है। उक्त चोटें किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरी तरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह की कांपलिकेशन न हो।

**45—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 के अनुसार उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा रामजी को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसे चोट क्र.01 मुंदी हुई चोट पीठ पर लाल नीले रंग की पाया है। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की है, जो उसके परीक्षण के 4 से 6 घंटे पूर्व की है। उक्त चोट किसी सख्त व बोथरे वस्तु से पहुँचाई गई है। चोट पूरी तरह ठीक हो सकती है यदि किसी तरह की कांपलिकेशन न हो। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत सुधराम एवं कलावतीबाई को आई सभी चोटें किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। इसी प्रकार आहत जानकीबाई को आई सभी चोट किसी कड़ी सतह पर बलपूर्वक गिरने से आ सकती है। आहत रूपकलीबाई को आई सभी चोटे साधारण प्रकृति की है और किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है।

आहत जैवंतीबाई को आई चोट साधारण प्रकृति की थी और किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। आहत लक्ष्मण को आई कलाई पर चोट किसी कड़ी सतह पर दौड़ते समय बलपूर्वक गिरने से आ सकती है। यह स्वीकार किया कि उसके अलावा आई सभी चोट साधारण प्रकृति की थी और किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। कौशलबाई को आई चोट साधारण प्रकृति की है और किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। आहत अंतराम को आई चोट सभी साधारण प्रकृति है और किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। आहत चैतराम को आई चोटें साधारण प्रकृति की है और किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। आहत रामजी को आई चोटें साधारण प्रकृति की है और पीठ के बल से कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है।

**46—** साक्षी करनसिंह अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं फरियादी/आहत को जानता है। आरोपीगण से पुलिस ने धान एवं दो बांस की लकड़ी जप्त किये थे और गिरफ्तार भी किये थे, जो जप्ती पत्रक प्रपी.13, 14 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-15 व 16 हैं जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह पुलिस के कागजों पर किस सन, महीना एवं तारीख को हस्ताक्षर किया था उसे याद नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी.13, 14 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-15 व 16 के दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस वालों ने बताये थे। पुलिस वालों ने उक्त हस्ताक्षर आरोपी के घर पर करवाये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने उक्त सभी कागजों पर थाने में हस्ताक्षर किया है, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने मात्र मौके पर धान की जप्ती वाली कार्यवाही में हस्ताक्षर किया था, इसके अलावा अन्य कोई कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उसके सामने धान एवं लकड़ी की जप्ती की कार्यवाही की गई थी, उसके साथ प्रार्थीगण आये हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह प्रार्थीगण के बताये अनुसार बता रहा है।

**47—** साक्षी पांचोबाई अ.सा.14 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं आहतगण चैतराम, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशलबाई, कलाबतीबाई, जानकीबाई, जयवंतीबाई, रूपकलीबाई, अंतराम, प्रेमबतीबाई को जानती है। वह घटना किस वर्ष की है नहीं बता सकती। वह कक्षा पहली-दूसरी तक पढ़ी है। उसके अनुमान से घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दस वर्ष पूर्व की है। घटना खेत की है। खेत किसका था वह नहीं बता सकती। घटना दिनांक को वह आरोपी निरकसिंह के खेत में धान काटने के लिये गई थी जहाँ पर आरोपीगण एवं आहतगण के बीच में झगड़ा-लड़ाई हो गया था। घटना दिनांक को आहत सुधराम की पार्टी खेत में धान काट रही थी, तभी आरोपीगण की पार्टी खेत पर आई और सुधराम की पार्टी के लोगों से झगड़ा करने लगी। आरोपीगण बहुत सारे लोग थे तो उनसे सुधराम की पार्टी के लोगो को मार दिये थे। वह नहीं बता सकती कि उक्त झगड़े में कितने लोगों को चोट आई थी क्योंकि वह बहुत दूर थी। लगभग पन्द्रह बंधी की दूरी पर थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

**48—** साक्षी पांचोबाई अ.सा.14 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28.11.2009 के दिन के लगभग 02:00 बजे की है, चैतराम के खेत में कौशलबाई, जयवंती, जानकी, रूपकली, कलाबाई धान काट रहे थे। वह आरोपी के खेत में जहाँ उसने अधिया कमाई थी वहाँ की धान काट आई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि महिपाल तथा निरकसिंह चैतराम के खेत आये और गाली देते हुये बोले कि जमीन उनकी है धान वह काटेंगे और इसी बात को लेकर आरोपीगण ने मारपीट करना चालू कर दिये थे, आरोपीगण ने चैतराम, लक्ष्मण, सुधराम आये तो उनके साथ भी मारपीट किये। साक्षी के अनुसार दोनों पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिये उसने अपने मुख्य परीक्षण में घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दस वर्ष की होना बता दी थी, उसके सामने आरोपीगण ने आहतगण के साथ एक ही बार मारपीट किये थे



और उसी संबंध में वह आज बयान दे रही है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-18 का कथन दी थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी महिपाल और निरंक ने अन्य लोगों के साथ आहत चैतराम, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशलबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अंतराम से मारपीट की थी, जिससे आई चोट का ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था, घटना के समय वह आरोपीगण के खेत की अधिया करती थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि इसी कारण वह न्यायालय में आरोपीगण को बचाने के लिये झूठे कथन कर रही है।

**49—** साक्षी पांचोबाई अ.सा.14 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण की जमीन में अधिया काशत की थी इसलिये वह उक्त खेत में धान काट रही थी, घटना दिनांक को वह घटनास्थल से छः-सात सौ कदम दूर अर्थात् 15 बंधी के बाद धान काट रही थी, वह लड़ाई-झगड़े में घटनास्थल पर नहीं गई थी, किसने कौन सी गाली दी थी और क्या कहा था उसने नहीं सुना था, किसने किसको मारा वह नहीं बता सकती, वह वहां नहीं गई थी इसलिये उसने किसी की चोट नहीं देखी थी, वह उनके साथ नहीं गई थी इसलिये कौन अस्पताल में ईलाज करवाने आया वह नहीं बता सकती, चैतराम, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशलबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अंतराम, प्रेमबतीबाई उसके गांव के है, उक्त प्रार्थीगण उसे बैहर न्यायालय में बयान देने हेतु लेकर आये है, उक्त प्रार्थीगण ने उसे उनके तरफ से बयान देने की बात कही, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह उनके कहे अनुसार बयान दे रही है। साक्षी के अनुसार वह दूर थी लेकिन देखी थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण आहतगण को कह रहे थे कि उनकी बंधी की धान मत काटो, किन्तु आहतगण जो 10-15 थे नहीं माने, उसने दूर से देखी थी तो दोनों पक्ष लामाझूमी कर रहे थे, उसने दूर से देखी थी तो दोनों पक्ष लामाझूमी कर रहे थे, लामाझूमी में लोग खेत में गिरते पड़ते जा रह थे, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

**50—** साक्षी प्रेमबतीबाई अ.सा.15 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं आहतगण चैतराम, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशलबाई, कलाबतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अंतराम, प्रेमबतीबाई को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार-पांच वर्ष पूर्व दोपहर के समय महिपाल के खेत की है। आरोपीगण एवं आहतगण के बीच में हल्ला हो रहा था। उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुये नहीं देखा। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छः वर्ष पूर्व दिन के 02:00 बजे की है, चैतराम के खेत में कौशलबाई, जयवन्ती, जानकी, रूपकली, कलाबाई धान काट रही थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि तब आरोपीगण ने धान काटने वालों से कहा था कि धान क्यों काट रहे हो। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण चैतराम के खेत में जहाँ धान काट रहे थे, वहाँ गये थे, फिर वहाँ पर दोनों पक्षों का झगड़ा होने लगा, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने आहत रामजी, अंतराम, चैतराम सुधराम, लक्ष्मण के साथ उसके समक्ष मारपीट की थी। साक्षी के अनुसार वह वहाँ उपस्थित नहीं थी, इसलिये नहीं बता सकती कि किये थे या नहीं।

**51—** साक्षी प्रेमबतीबाई अ.सा.15 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने से आहतगण को चोट आना देखा था, उक्त झगड़े में आई चोट का ही ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने आपको अपने शरीर में चोट नहीं पहुँचाता है। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के साथ और अन्य लोग भी थे। वह घटना के समय घटनास्थल से पांच-छः बंधी धान महिपाल की खेत की काट रही थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जहाँ पर वह धान काट रही थी उक्त खेत में झगड़ा नहीं हुआ था, उसने दूर से झगड़ा होते हुये देखा। वह नहीं बता सकती कि झगड़ा स्थल किसका खेत था। साक्षी ने इन

सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गयी है इसलिये न्यायालय में आरोपीगण को बचाने के लिये झूठे कथन कर रही है तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-19 का कथन दिया था, जिसमें उसके द्वारा घटना के संबंध में बताया गया था।

**52—** साक्षी प्रेमबतीबाई अ.सा.15 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा आहतगण को मारते पीटते हुये नहीं देखा था, आरोपीगण ने कलाबाई वगैरह को बुलाया था कि उसके खेत का धान क्यों काट रहे हो, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आहतगण ने आकर आरोपीगण के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, वह यह भी नहीं बता सकती कि किसने किसको कौन सी गाली दी क्योंकि वह बहुत दूर थी, आरोपीगण के खेत का कुछ भाग उन्होंने ठेका में कमाये थे और स्वयं आरोपीगण ने कुछ जमीन काशत की थी इसलिये कलाबाई वगैरह धान काटने से मना किया था, उसी जगह पर धान काटने को लेकर हल्ला हुआ था तथा उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी। साक्षी के अनुसार हल्ला हो रहा था तो वह डर के मारे भाग गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने किसी की चोट नहीं देखी थी।

**53—** साक्षी इंजनसिंह अ.सा.13 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.11.2009 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को चैतराम मेरावी की सूचना पर अप.क्रमांक 65 / 2009 धारा-341, 294, 506 / 34 भा.द.वि. आरोपी महिपाल कोकोटे, निरंक कोकोटे के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी.01 लेख किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 29.11.2009 को प्रार्थी चैतराम मेरावी के निशादेही पर मौका-नक्शा प्रपी.17 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी चैतराम साक्षी रूपकली, कलावती, जानकीबाई, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, पाचोबाई, हेमबतीबाई, अंतराम के कथन उनके बताये

अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 02.12.09 को आरोपी निरंकसिंह एवं महिपाल से एक-एक लकड़ी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी. 13 एवं प्रपी.14 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी.15 एवं प्रपी.16 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

**54—** साक्षी इंजनसिंह अ.सा.13 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रपी.01 की प्रथम सूचना पत्र प्रार्थी चैतराम ने उसके समक्ष लेख नहीं कराया था, उसने अपने मन से प्रथम सूचना पत्र लेख किया है, वह थाने में बैठकर प्रपी.17 का मौका नक्शा तैयार कर लिया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के मौका नक्शा में उसने किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं करवाया है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने अपने प्रपी.17 के मौका नक्शा बताने वाले प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं लिया है, उसके द्वारा प्रार्थी चैतराम साक्षी रूपकली, कलावती, जानकीबाई, रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, पाचोबाई, हेमबतीबाई, अंतराम के कथन उनके बताये अनुसार न लेख कर अपने मन से लेख किया है, सभी साक्षीगण उसके समक्ष कोई कथन नहीं दिये थे, उसने आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु यह स्वीकार किया है कि मौका-नक्शा पत्रक में नक्शा बताने वाले के हस्ताक्षर नहीं करवाया है। यह अस्वीकार किया है कि आरोपी निरंकसिंह एवं महिपाल से उसने गवाहों के समक्ष लकड़ी जप्ती का जप्ती प्रदर्श पी-13 एवं प्रपी-14 की जप्ती पत्रक तैयार नहीं किया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रार्थीगण एवं आरोपीगण के मध्य इस घटना के पूर्व से जमीन संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में चल रहा था। उसे नहीं मालूम कि आरोपीगण फरियादी के विरुद्ध मारपीट संबंधी रिपोर्ट दर्ज करवाये थे। उसे मालूम नहीं है कि आरोपीगण को साधारण चोट होने के कारण प्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई थी। यह अस्वीकार किया है कि सभी प्रार्थीगण 10-12 मिलकर आरोपीगण को मारपीट किये थे। उभयपक्षों के मध्य



धान के फसल को काटने बाबद् विवाद हुआ था और सभी प्रार्थीगण 10-12 लोग आरोपीगण के धान को काटने के लिये गये थे। यह अस्वीकार किया है कि वह प्रार्थीगण से मिलकर झूठी विवेचना किया है और उसने गलत विवेचना करके प्रकरण तैयार किया है।

**55—** बचाव साक्षी महिपाल सिंह ब.सा.01 ने कथन किया है कि उसके गांव के भोला, चैतराम, सुधराम, रामजीत, लक्ष्मण, सुल्तानाबाई, रूपकलीबाई, कौशलबाई, जुगनाबाई, मंतीबाई, जैवंती, सकून, अंतराम एवं मोठीबाई को वह जानता है। घटना दिनांक 28.11.2009 के दिन के समय लगभग 2:00 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर पर था। वह अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 66/0 पर आ रहा था, जिसमें धान की फसल लगी हुई थी। वह 66/2 की भूमि पर आ रहा था तब ऊपर बताये सभी लोग मिलकर धान काट रहे थे, जो उनकी लगाई गई धान की फसल को काटकर ले जा रहे थे, तब वह, अशोक, निरकसिंह, भुवनबाई, लाभसिंह कुल पांच लोग उन्हें समझाने और फसल काटने से रोकने के लिये गये थे, तभी उपरोक्त ऊपर वर्णित लोग उन्हें गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मारपीट करने लगे थे। उसे लक्ष्मण ने मस्तक पर धान ढोने का सुरेण्डा लकड़ी से मारा था, जिससे उसे चोट आई थी। रामजीत ने अशोक की पीठ पर मारा था। सुधराम ने मिरकसिंह को गाल पर मारा था एवं पीठ पर लकड़ी से मारा था तथा लाभसिंह को लक्ष्मण ने मारा था तथा भुवनबाई को मोठीबाई ने मारा था, जिससे उन लोगों को चोटें आई थी। ऊपर वर्णित लोग खेत की भूमि पर दौड़ाकर मार रहे थे।

**56—** बचाव साक्षी महिपाल सिंह ब.सा.01 के अनुसार उपरोक्त लोगों ने उनकी फसल काटकर ले गये थे। दूसरे दिन उन लोग बैहर थाने गये थे। उनकी ओर से पुलिस थाना में उक्त मारपीट के संबंध में ढालसिंह को उसके काका ने लिखित शिकायत दिनांक 29.11.2009 दिया था, जिसकी एक प्रति उसने प्रकरण में प्रस्तुत किया है, जो प्र.डी.01 है, जिस पर उसके काका ढालसिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह भलीभांति पहचानता है। बैहर पुलिस द्वारा

उसका, निरकसिंह, भुवनबाई एवं लाभसिंह का मुलाहिजा करवाया गया था। पुलिस ने चैतराम व अन्य के विरुद्ध कोई प्रकरण घटना के संबंध में नहीं बनाये थे तथा उनके द्वारा धान काटकर ले जाने के संबंध में भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं किये थे, बल्कि पुलिस ने चैतराम वगैरह में उसके एवं निरक के विरुद्ध में मारपीट का झूठा प्रकरण दर्ज कर दिये थे। उन लोगों ने चैतराम वगैरह को मारपीट नहीं किये थे।

**57—** बचाव साक्षी महिपाल सिंह ब.सा.01 के अनुसार उनकी शामिल-शरीक खसरा नंबर 66/2 रकबा 04 एकड़ की भूमि, जिस पर उन्होंने धान का बोआर बोया हुआ था। उक्त भूमि पर भोलाराम, चैतराम वगैरह द्वारा दखलअंदाजी करने के संबंध में उन्होंने माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के न्यायालय में प्रतिदावा प्रस्तुत किया था, जिसके व्य.वाद.क्रमांक 29ए/2005 था, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.03.2006 को घोषित किया गया। भोलाराम वगैरह का वाद निरस्त किया जाकर उन लोगों का प्रतिदावा स्वीकार किया गया था, जिसके निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.02 है। उक्त निर्णय की भोलाराम वगैरह ने कोई अपील नहीं किये थे। इसके अलावा भोलाराम वगैरह के विरुद्ध एक व्यवहार वाद 60ए/10 महिपाल वगैरह विरुद्ध भोलाराम वगैरह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 30.11.2011 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी। उक्त निर्णय के अनुसार भोलाराम वगैरह को उनकी जमीन पर घुसने से मना किया गया था, परन्तु भोलाराम वगैरह जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 60ए/10 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.03 है।

**58—** बचाव साक्षी महिपाल सिंह ब.सा.01 के अनुसार व्यवहार वाद क्रमांक 60ए/10 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2010 को भोला वगैरह के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.04 है। भोला वगैरह ने उनकी उक्त भूमि पर स्थगन आदेश के बावजूद भी जबरन घुसकर कब्जा जमा लिये हैं, जिस कारण उन्होंने

न्यायालय के आदेश की अवहेलना हेतु भोला वगैरह के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आदेश की अवहेलना हेतु आदेश 39 नियम 2क व्य0प्र0सं0 का विविध व्यवहार वाद क्रमांक 15/16 प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.05 है। इसके अलावा विविध व्यवहार वाद क्रमांक 06/12 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.06 है। उक्त प्रकरण का आवेदन प्र.डी.07 है। शपथ पत्र प्र.डी.08 है। निष्पादन वाद क्रमांक 60ए/10/2015 भोला वगैरह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो प्र.डी.09 है। आदेश पत्रिका दिनांक 25.08.2015 एवं दिनांक 17.05.2017 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.10 है।

**59—** बचाव साक्षी महिपाल सिंह ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय जो धान की फसल लगी थी वह प्रार्थीगण के खेत में लगी थी, दिनांक 28.11.2009 को लगभग 2:00 बजे वह अपने घर पर था, वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, उसे लक्ष्मणसिंह ने धान उठाने के सुरेण्डा से नहीं मारा था, वह लामा-झुमी में स्वयं गिर गया था, लाभसिंह, भुवनबाई को सुधराम ने मारपीट नहीं किया था, प्रार्थीगण चैतराम वगैरह अपनी खेत की धान की फसल काटकर ले जा रहे थे और उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, उन लोग उनके घर उन्हें समझाने गये थे, तब प्रार्थीगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, उन लोगों ने चैतराम वगैरह को फसल काटते हुये नहीं देखे थे, प्रार्थीगण के साथ मारपीट किये थे और उससे बचने के लिये काका ढालसिंह के साथ लिखित शिकायत प्र.डी.01 दिये थे, उसके काका ढालसिंह थाने लिखित शिकायत लेकर गये थे, तब वह उनके साथ नहीं गया था। यह स्वीकार किया कि प्र.डी.01 की रिपोर्ट में उसके काका ढालसिंह के हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया है कि ग्राम खापा की चार एकड़ जमीन प्रार्थीगण भोलाराम वगैरह की शामिल-शरीक हक की जमीन है। साक्षी के अनुसार उक्त भूमि उनके शामिल-शरीक खाते की भूमि है।

**60—** बचाव साक्षी अशोक ब.सा.02 ने कथन किया है कि वह

आरोपीगण एवं प्रार्थीगण को जानता है। घटना दिनांक 28.11.2009 की ग्राम खापा की है। घटना के समय वह दिन में 2:00 बजे अपनी खेती की भूमि जो ग्राम खापा में है उसमें धान की फसल देखने गया था। उसके साथ लाभसिंह, महिपालसिंह, निरकसिंह और भुवनबाई थे, तब वहाँ उनके खेत की धान को राम, लक्ष्मण, चैतराम, सुधराम, सुल्ताना, रूपकली, जुगना, सकून, कौशल, जयवंती, मोठी कुल 14 लोग उनकी खसरा नंबर 66/02 की भूमि पर लगी धान को काट कर ले जा रहे थे। तब उन्होंने उनके खेत की लगी धान की फसल को काटकर ले जाने से मना किया था।

**61—** बचाव साक्षी अशोक ब.सा.02 के अनुसार तभी प्रार्थीगण मों-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे और सुरेण्डा और डंडे से दौड़ा-दौड़ाकर मारने लगे। उनके द्वारा मारने से महिपाल को सिर पर तथा निरक को पीठ एवं हाथ पर तथा उसकी पीठ पर चोट आई थी तथा लाभसिंह को सिर पर चोट आई थी तथा भुवनबाई को पैर पर चोटें आई थी। वह लोग डर के कारण वहाँ से भाग कर अपने घर आ गये। प्रार्थीगण ने उनकी फसल को काटकर घर लेकर चले गये थे। उक्त घटना की जानकारी उन लोगों ने अपने परिवारवालों को तथा गांव के मुकड़दम एवं पटेल को बताये थे। दूसरे दिन 29.11.2009 को लिखित शिकायत थाना बैहर को दिये थे तथा मौखिक सूचना भी दिये थे। उनकी ओर से ढालसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया था। बैहर पुलिस द्वारा उक्त घटना के संबंध में मारपीट एवं धान काटकर ले जाने के संबंध में कार्यवाही या प्रकरण दर्ज नहीं किया। बल्कि आरोपीगण महिपाल एवं निरकसिंह के विरुद्ध झूठा प्रकरण बना दिया। उक्त खसरा नंबर 66/02 की भूमि का उनके द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया था और स्थगन भी प्राप्त हुआ था और उनके पक्ष में फैसला हुआ था। आरोपीगण द्वारा प्रार्थीगण को मारपीट कर चोट नहीं पहुँचाई गई थी।

**62—** बचाव साक्षी अशोक ब.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों



को स्वीकार किया है कि उसे आज गवाही देने के लिये समन प्राप्त नहीं हुआ है, वह आज न्यायालय में आरोपीगण के साथ आया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसे आरोपीगण ने क्या बयान देना है समझाये थे। साक्षी के अनुसार उसने जो देखा था वही बता रहा है। उसके पिताजी ने प्रार्थीगण के खिलाफ बैहर थाने में रिपोर्ट लिखाये थे। साक्षी के अनुसार वह लोग भी उनके साथ में आये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.डी.01 पर थाना बैहर की प्राप्ति संबंधी कोई सील नहीं लगी हुई है। साक्षी के अनुसार प्र.डी.01 की पावती में पुलिस वाले धरमसिंह साहब के दस्तखत है। यह स्वीकार किया है कि उसके पिताजी ने प्रार्थीगण के खिलाफ बैहर थाने में कोई शिकायत नहीं की थी, मुलाहिजा की कापी प्रकरण में उनके द्वारा पेश नहीं की गई है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्रार्थीगण ने आरोपीगण को मारपीट नहीं की थी और वह आरोपीगण के कहने पर प्रार्थीगण के विरुद्ध झूठे कथन कर रहा है।

**63—** बचाव साक्षी ईगल मरकाम ब.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरक्षी केन्द्र बैहर से असल रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1212 दिनांक 29.11.2009 एवं सान्हा क्रमांक 1218 दिनांक 29.11.2009 तक अपने साथ लेकर आया है। उक्त रोजनामचा सान्हा को आरक्षी केन्द्र बैहर के प्रधान आरक्षक भाऊलाल पारधी द्वारा दिनांक 29.11.2009 के दिन समय 11:30 बजे लेख किया गया है, जिसमें सूचना देने वाले ढालसिंह निवासी काश्मीरी थाना बैहर जिला बालाघाट द्वारा उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया गया था कि ग्राम खापा, प.ह.नं.15 की खसरा क्रमांक 66/2 रकबा 4.00 एकड़ भूमि एवं अन्य खसरा करीब 40 एकड़ भूमि है। उक्त भूमि पर फसल पक कर तैयार हो चुकी थी, जिसे चैतराम, बुधराम, रामजीत, लक्ष्मण, जमुनाबाई, रूपकली, कौशल, सकुर, जयवंती, मंती, अंतराम, भोरीबाई द्वारा अवैध रूप से काट कर लेकर गये है तथा मना करने पर उक्त अनावेदकगण ने महिपाल सिंह, निरकसिंह, लाभसिंह, अशोक, भुवनबाई को मारपीट किये थे। मारपीट से आई चोटों का मुलाहिजा सैनिक क्रमांक 171 द्वारा भेजकर करवाया गया था। बाद आने नतीजा मुनासिब कार्यवाही की जाती है।

**64—** बचाव साक्षी ईगल मरकाम ब.सा.03 के अनुसार असल रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1212 दिनांक 29.11.2009 प्र.डी.11 है एवं सान्हा क्रमांक 1218 दिनांक 29.11.2009 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है, जो प्र.डी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर हेड मोहररिंर भुवन अतकरे क्रमांक 938 के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे सान्हा क्रमांक 1212 में की गई शिकायत पर थाना बैहर में क्या कार्यवाही की गई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि रोजनामचा सान्हा में की गई शिकायत पर से घटना झूठी पाये जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया था।

**65—** प्रकरण में सभी आहतगण तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने 15-20 व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने के कथन किये है, जबकि दोनों आरोपीगण के अतिरिक्त शेष व्यक्तियों के संबंध में पुलिस द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई है और ना ही कोई पहचान परेड कराई गई। लगभग सभी अभियोजन साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि धान काटने को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद हुआ था तथा आरोपीगण को भी चोटें आई थी। प्रकरण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवाद खेत में ही हुआ था तथा रास्ते में कोई भी विवाद नहीं हुआ था, जिससे घटनास्थल लोकस्थान होना दर्शित नहीं है। सभी आहतगण ने स्वीकार किया है कि उक्त खेत को लेकर उनके मध्य विवाद रहा है, जिस संबंध में न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है। आहत साक्षी जानकीबाई अ.सा.07 तथा जैवंती अ.सा.09 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवादित खेत में प्रवेश करने से उन्हें न्यायालय द्वारा निषेधित किया गया था।

**66—** प्रकरण में अभियुक्त महिपाल सिंह अ.सा.01 द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि घटनास्थल विवादित खेत पर उनके द्वारा फसल लगाई गई थी, जिसे काटने से रोकने पर आहतगण द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में उनके काका ढालसिंह द्वारा दूसरे दिन लिखित शिकायत प्र.डी.01 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर पुलिसवालों द्वारा उसका तथा अन्य व्यक्तियों का मुलाहिजा भी कराया गया था, परंतु उक्त संबंध में पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज

नहीं की। प्रधान आरक्षक ईगल मरकाम ब.सा.03 द्वारा प्रस्तुत रोजनामचा सान्हा क्रमांक 12/12, 1218 प्र.डी.11 से उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। यद्यपि अभियुक्तगण की कोई मुलाहिजा रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है, परंतु स्वयं आहतगण द्वारा उक्त तथ्य को स्वीकृत किया गया है।

**67—** बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत व्य.वाद क्रमांक 29ए/05 के निर्णय दिनांक 10.03.2006 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.02 से वादग्रस्त भूमि अभियुक्तगण के स्वत्व की होना दर्शित है, क्योंकि आहतगण द्वारा उक्त चार एकड़ वाली भूमि पर ही विवाद होना व्यक्त किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा पेश शेष दस्तावेज घटना दिनांक के पश्चात के हैं, तथापि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अभियुक्तगण के स्वामित्व की है, जिस पर लगाई गई फसल काटने को लेकर ही विवाद हुआ था। अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि उक्त फसल आहतगण द्वारा लगाई गई थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-97 शरीर तथा संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। जबकि धारा-99 तत्संबंध में निर्बन्धों का प्रावधान करती है। प्रकरण की साक्ष्य से यह दर्शित है कि घटनास्थल अभियुक्तगण का खेत था, जिस पर लगाई गई फसल काटने से रोकने पर विवाद हुआ था। जिससे उभयपक्ष को चोटें आई थी। कथित फसल आहतगण द्वारा लगाई गई थी, प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। फलतः अभियुक्तगण को स्वयं के खेत की फसल की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार था और उनके द्वारा तत्संबंध में किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसके अतिरिक्त कथित 20-22 लोगों के संबंध में अभियोजन के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**68—** फलतः प्रकरण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी/आहत चैतराम तथा आहतगण रामजी, सुधराम, लक्ष्मण, कौशल्याबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अन्तराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, सह अभियुक्तगण के

साथ उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत जानकीबाई, कलावतीबाई, रूपकलीबाई, जैयवन्तीबाई, कौशल्यबाई, चैतराम, सुधराम, अंतराम एवं रामजी को हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत चैतराम, रामजी, लक्ष्मण और अंतराम के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डाली, जिससे प्रार्थीगण उस दिशा में जाने से निवारित हुये जबकि वे उस दिशा में जाने के अधिकारी थे, सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थीगण/आहत लक्ष्मण को लकड़ी से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया एवं प्रार्थीगण/आहत चैतराम, सुधराम, रामजी, लक्ष्मण, कौशल्यबाई, कलावतीबाई, जानकीबाई, जयवन्तीबाई, रूपकलीबाई, अन्तराम, पाचोबाई, प्रेमबतीबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 341/34, 325/34, 506 भाग-दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**69-** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**70-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**71-** प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

जिला बालाघाट